	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 44/2016–17
मोती सिंह
–बनाम–
रामू उरॉव

09/12/22

अपीलार्थी :–(1). मोती सिंह, पे0–शंकर सिंह, सा0–घोघी, थाना–जिरवावाड़ी, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी :– (1). रामू उरॉव, पे0–गुंडल उरॉव, सा0–घोघी, थाना–जिरवावाड़ी, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद अपीलार्थी मोती सिंह, पे0–शंकर सिंह, सा0–घोघी, थाना–जिरवाबाड़ी, जिला–साहेबगंज के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0 14/2013–14 में दिनांक 16.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के आवेदन पर संतुष्ट होकर उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से इस न्यायालय के ज्ञापांक 35/डी0बी0, दिनांक 04.03.2017 द्वारा मूल अभिलेख की माँग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी उपस्थित।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक 291/डी0बी0, दिनांक 19.05.2017 द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 के मूल अभिलेख प्राप्त।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। सुनवाई के क्रम में 1. श्रीलाल उरॉव, 2. जवाहर उरॉव, दोनों पिता–स्व0 बलखू उरॉव एवं 3. रेशमी देवी, पति–मोतीलाल उरॉव, सा0–छोटा पंचगढ़, थाना–बोरियो (जि0), जिला–साहेबगंज के द्वारा अंतक्षेपक (Intervenors) बनाने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंतक्षेपक बनाया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मौजा–घोघी, जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–97 कुल रकवा 08 बीघा 13 कट्ठा 13 धूर भूमि अपीलार्थी एवं अन्य को दान स्वरूप में दिया गया है। उक्त भूमि श्रीलाल उरॉव वो जवाहर उरॉव दोनों पिता–स्व0 बलखू उरॉव द्वारा अपीलार्थी को दान में दिया है कि झोपड़ी बनाकर उक्त भूमि में निवास करें, जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य व्यक्ति घर बनाकर निवास कर रहे है। उक्त दान में प्राप्त भूमि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज ने उक्त भूमि से अपीलार्थी के विरूद्ध उच्छेदी आदेश पारित किये, जो कानून के नजर में उचित नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का आगे यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घोघी, जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–97 की भूमि अंतक्षेपक के द्वारा शपथ पत्र के

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	
	आधार पर प्राप्त किया गया है। उक्त भूमि पर अंतक्षेपक का पूरा हक एवं अधिकार है। उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 में दिनांक 16.01.2017 को पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घोघी, जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–97 रकवा 08 बीघा 19 कट्ठा 13 धूर भूमि उत्तरवादी के परदादा गोवर्धन धांगड़ वो कैला धांगड़, पिता–बललू धांगड़ के नाम से सरकारी खतियान में दर्ज है। उक्त भूमि उनके वारिश सूत्र से प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि का अद्यतन लगान सरकार को अदा की गई है। उनके परिवार द्वारा किसी भी व्यक्ति को दान स्वरूप नहीं दिया गया है। लेकिन अपीलार्थी मोती सिंह एवं अन्य के द्वारा जोर जबरदस्ती भूमि को दखल कर रखा है, जिसका रकवा 03 बीघा जमीन पर अवैध झोपड़ी का निर्माण रात्रि में कर दिये है।

उत्तरवादी आदिवासी समुदाय के सदस्य है, जबकि अपीलार्थी बिन्द जाति के सदस्य है। अपीलार्थीगण द्वारा जोर जबरदस्ती जमीन को हड़प लिया गया है।

आगे उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अंचल अधिकारी, बोरियो से विधिवत जाँच कराकर प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भूमि से उच्छेदी करने का आदेश पारित किये है, जो लागू रहना चाहिए। अपीलार्थी के पास किसी भी प्रकार के कागजात नहीं है कि वह साबित कर सके कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वजों का है।

उन्होंने विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, ~~राजमहल~~ साहेबगंज के न्यायालय द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 में दिनांक 16.01.2017 को पारित आदेश यथावत (Upheld) रखने का अनुरोध किया गया है।

Intervenor/आवेदक 1. जवाहर उराँव, पिता–स्व0 बलखू उराँव, 2. हरिलाल उराँव, 3. रेशमी उराँव, पति–मोतीलाल उराँव द्वारा एक आवेदन दाखिल किया गया है कि उत्तरवादी रामू उराँव द्वारा मोती सिंह एवं अन्य के विरूद्ध निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आधार पर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20(5) एवं 42 के तहत अपीलार्थीगण को प्रश्नगत भूमि मौजा–घोघी नं0–38, जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–97 कुल रकवा 08 बीघा 13 कट्ठा 13 धूर भूमि से उच्छेद कर दिया गया, जबकि उक्त भूमि अंतक्षेपक (Intervenor) की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त भूमि पर उच्छेदी आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है।

आवेदक/Intervenor के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किये है कि रामू उराँव के द्वारा Title Suit No. 11/14 वरीय सिविल न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज के न्यायालय में दायर किया गया, जिसे दिनांक 24.07.2019 को पार्टी बनाया गया, जो लंबित नहीं है।

अतएव उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घोघी, थाना नं0–38, अंचल बोरियो अन्तर्गत जमाबंदी नं0–16, दाग नं0–97 रकवा 08 बीघा 19 कट्ठा 13 धूर भूमि उत्तरवादी के परदादा के नाम से खतियान में दर्ज है।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 में अवस्थित अंचल अधिकारी, बोरियो के पत्रांक 440/रा0, दिनांक 13.09.2016 से भी स्पष्ट है कि मौजा–घोघी, थाना नं0–38, जमाबंदी नं0–16 एवं मौजा

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही
	एवं मौजा–छोटा पंचगढ़, थाना नं0–35, जमाबंदी नं0–18 का खतियानी रैयत एक ही है। परन्तु विपक्षीगण (अपीलार्थीगण) द्वारा दान–पत्र के द्वारा भूमि अर्जन किया है। जबकि मौजा–घोघी एवं छोटा पंचगढ़, बोरियो अंचल के अन्तर्गत दामिन–ई–कोह की भूमि है, जिसे किसी भी प्रकार से बिक्री करना उचित नहीं है। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 में दिनांक 16.01.2017 को पारित आदेश में किसी भी प्रकार के संशोधन करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरान्त अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 में दिनांक 16.01.2017 को पारित आदेश यथावत (Upheld) किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को उनके न्यायालय के आर0ई0 वाद संख्या 14/2013–14 से संबंधित अभिलेख के साथ एवं अंचल अधिकारी, बोरियो को अनुपालन हेतु भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 9/12/22 उपायुक्त साहेबगंज। 9/12/22 उपायुक्त साहेबगंज।	

Digitally signed by localhost
Date: 2025.08.25 12:09:00 +05:30
Location: 192.168.0.141

Scanned with OKEN Scanner